

केन्द्रीय विद्यालय संगठन

(शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन स्वायत्त निकाय)
क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून संभाग
सालावाला, हाथीबड़कला, देहरादून(उत्तराखण्ड)
वेबसाइट-<https://rodehradun.kvs.gov.in>
दूरभाष:0135-2749510 (DC)/2743192 (AC)/
2746371 (AO)



rajbhashakvsroddr@gmail.com

E-Mail : ackvsroddr@gmail.com, acacadkvsroddr@gmail.com, aokvsroddr@gmail.com, aaokvsroddr@gmail.com

फ. 18025/हिंदी/2024/के.वि.सं.(क्षे.का.)/दे.दून/13585

दिनांक : 31.01.2024

प्राचार्य/प्राचार्या

केन्द्रीय विद्यालय

ओ.एफ.डी. रायपुर 248008

विषय: हिंदी के प्रगामी प्रयोग से संबंधित 31.12.2023 को समाप्त तिमाही रिपोर्ट की समीक्षा।

महोदय / महोदया,

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में विद्यालय के दिनांक 31.12.2023 को समाप्त हिंदी तिमाही प्रगति रिपोर्ट का अवलोकन करने पर राजभाषा नियमों के अनुपालन में कुछ बिंदु प्रकाश में आए हैं:-

1. राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3(3) के अंतर्गत कुल 26 कागजात जारी किए गए हैं। इनमें से द्विभाषी रूप में जारी किये गए कागजातों की संख्या 26 है। इनमें से केवल अंग्रेजी में जारी किए गए कागजातों की संख्या 00 है। यह एक अच्छी स्थिति है। नियमानुसार धारा 3(3) के अंतर्गत जारी किये जाने वाले सभी दस्तावेज द्विभाषी रूप में ही जारी किये जाने चाहिए।
2. विद्यालय द्वारा राजभाषा नियम 5 का अनुपालन किया जा रहा है। इसके अंतर्गत 146 पत्र हिंदी में प्राप्त किए गए, जिनमें से 41 पत्रों के जवाब हिंदी में दिए गए। कुल 00 पत्रों का उत्तर दिया जाना अपेक्षित नहीं था। एवं 00 पत्रों का उत्तर अंग्रेजी में दिया गया है। सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा दिए गए आंकड़े सही व वास्तविक हों।
3. आपके विद्यालय द्वारा प्रेषित की गयी रिपोर्ट में राजभाषा हिन्दी का पत्राचार प्रतिशत 100 रहा है। यह एक सराहनीय प्रयास है। “क” क्षेत्र में स्थिति होने के कारण यह प्रतिशत शत प्रतिशत ही अपेक्षित होता है। भविष्य में भी इसी निरंतरता की अपेक्षा रहेगी। सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा प्रेषित रिपोर्ट में “ख” एवं “ग” क्षेत्रों के दिए गए आंकड़े सही व वास्तविक हों।
4. आपके द्वारा तिमाही में फाइलों पर हिन्दी टिप्पण कार्य का प्रतिशत 100 % है। इसके लिए आप प्रशंसा के पात्र हैं। भविष्य में इसी निरंतरता की अपेक्षा की जाती है।
5. अंग्रेजी में ‘क’ श्रेणी में स्थित क्षेत्र से प्राप्त पत्रों की संख्या 147 है, जिनमें 37 का जवाब हिंदी में दिया गया। 110 पत्रों का उत्तर दिया जाना अपेक्षित नहीं था। 1976 अधिनियम के नियम 4 अनुसार यह स्थिति भी सराहनीय है।
6. तिमाही के दौरान विद्यालय स्तर पर राजभाषा हिन्दी से संबंधित 01 कार्यशाला का आयोजन किया गया है जिसमें कुल प्रशिक्षित अधिकारी संख्या 01 और कर्मचारी संख्या 56 है, यह एक संतोषजनक स्थिति है। राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय के निर्देशानुसार प्रत्येक तिमाही में एक हिन्दी कार्यशाला का आयोजन किया जाना अनिवार्य है।
7. विद्यालय में राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक का आयोजन 30-11-2023 को किया गया है। कुल 01 बैठक आयोजित की गयी। बैठक की कार्यसूची तथा कार्यवृत्त राजभाषा हिन्दी में किया गया है, यह एक संतोषजनक स्थिति है। इस बैठक का आयोजन प्रत्येक तिमाही में नियमित रूप से किया जाए।
8. हिन्दी के प्रगामी प्रयोग से संबंधित तिमाही रिपोर्ट को विद्यालय द्वारा ऑन-लाइन प्रेषित किया जाना अनिवार्य है। राजभाषा ऑन-लाइन रिपोर्ट को अविलम्ब वेब पोर्टल पर अपलोड करवाना सुनिश्चित करें एवं इसकी जानकारी इस कार्यालय को भी दें।

अनुरोध है कि उपर्युक्त बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए उचित कार्रवाई करें एवं राजभाषा हिन्दी के कार्यान्वयन का अनुपालन राजभाषा नीति एवं राजभाषा वार्षिक कार्यक्रम के अनुसार करें।

भवदीय

(ललित मोहन बिष्ट)

सहायक आयुक्त